

बिहार राज्य एवं अन्य

बनाम

डॉ. संजय कुमार सिन्हा एवं अन्य

15 नवंबर, 1989

[रंगनाथ मिश्र, पी.बी. सावंत एवं के. रामास्वामी, न्यायमूर्ति गण]

*व्यावसायिक महाविद्यालय—बिहार के चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश—स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश—पात्रता की कट-ऑफ तिथि—समय-सारणी निर्धारित करने संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन—आवश्यकता।*

उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक रिट याचिका में, उत्तरदाता, जो चिकित्सा स्नातकों का एक समूह थे, ने वर्ष 1989 के लिए स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु जारी विवरणिका (प्रॉस्पेक्टस) को चुनौती दी, जिसमें पात्रता की कट-ऑफ तिथि 31 मई, 1989 निर्धारित की गई थी, जो इस न्यायालय द्वारा डॉ. दिनेश कुमार एवं अन्य बनाम मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, इलाहाबाद एवं अन्य, [1987] 4 एस.सी.सी. 459 में दिए गए निर्देशों के विपरीत थी। यह पाते हुए कि इस न्यायालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं किया गया था, उच्च न्यायालय ने विवरणिका को उस सीमा तक निरस्त कर दिया, जहाँ पात्रता की कट-ऑफ तिथि 31.5.1989 निर्धारित की गई थी।

इस न्यायालय के समक्ष अपील में, अपीलकर्ताओं ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा इस न्यायालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर आयोजित नहीं की जा सकी और परिणामों की सूचना भेजने में देरी हुई; परिणामस्वरूप, न्यायालय द्वारा तैयार की गई योजना का समुचित रूप से कार्यान्वयन नहीं हो सका। परीक्षा संचालित करने वाली संस्था ने अपने हलफनामे में खेद व्यक्त किया और यह आश्वासन दिया कि भविष्य में कोई चूक नहीं होगी।

रिट याचिका का निस्तारण करते हुए, इस न्यायालय ने—

अभिनिर्धारित किया: इस न्यायालय के प्रासंगिक निर्देशों का संबंधित वर्ष के लिए परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था द्वारा पालन नहीं किया गया। इसी प्रकार, राज्य ने भी

विवरणिका तैयार करते समय इन निर्देशों का अनुपालन नहीं किया। यदि पाठ्यक्रम 2 मई, 1989 से प्रारंभ होने थे, तो अंतिम पात्रता तिथि 31 मई, 1989 निर्धारित नहीं की जा सकती थी। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करने वाले चिकित्सा महाविद्यालयों के संबंध में सभी—राज्य, केंद्र शासित प्रदेश तथा अन्य सभी प्राधिकरण—इस न्यायालय के आदेश से बंधे हुए हैं और उन्हें इस विषय में उसमें निर्धारित समय-सारिणी का कठोरता से पालन करना होगा। इस न्यायालय के आदेश के किसी भी उल्लंघन को भविष्य में संज्ञान में लाए जाने पर गंभीर दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। भविष्य में इस संबंध में इस न्यायालय के आदेश के उल्लंघन को संज्ञान में लाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। संबंधित सभी व्यक्तियों को समय-सीमा का सख्ती से पालन करना होगा और भविष्य में किसी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए। [171 सी; ई-एफ]

कट-ऑफ तिथि से आगे की कोई तिथि निर्धारित करने में राज्य की त्रुटि के कारण अभ्यर्थियों का एक समूह प्रभावित हुआ है। सभी के हित में यह आवश्यक है कि इस त्रुटि को क्षम्य माना जाए और इस वर्ष के लिए चयन परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्रवेश की अनुमति दी जाए, जिसमें 31 मई, 1989 को कट-ऑफ तिथि माना जाए। यह विचलन केवल वर्तमान वर्ष तक ही सीमित रहेगा। [172 ए-बी]

डॉ. दिनेश कुमार एवं अन्य बनाम मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, इलाहाबाद एवं अन्य, [1987] 4 एस.सी.सी. 459

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : 1989 की दीवानी अपील संख्या 3658

पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 30.3.1989 का निर्णय एवं आदेश (1989 की सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 34) से।

अपीलकर्ताओं की ओर से: प्रमोद स्वरूप।

उत्तरदाताओं की ओर से: एम.सी. भंडारे (एन.पी.), ए.के. गोयल एवं सुश्री ज्ञान सुधा मिश्रा।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की ओर से: एस.पी. कालरा एवं शैलेन्द्र भारद्वाज।

हस्तक्षेपकर्ता की ओर से: जी.एल. सांघी एवं ए. शरण।

न्यायालय का निर्णय मिश्रा, न्यायमूर्ति द्वारा सुनाया गया।

विशेष अनुमति प्रदान की गई।

इस अपील में चुनौती, पटना उच्च न्यायालय की राँची पीठ द्वारा 30 मार्च, 1989 को संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दायर एक रिट याचिका में पारित आदेश के विरुद्ध है। उच्च न्यायालय के समक्ष चिकित्सा स्नातकों के एक समूह द्वारा याचिका दायर की गई थी, जो वहाँ उत्तरदाता थे, और जिन्होंने वर्ष 1989 के लिए स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु परीक्षा नियंत्रक-सह-अतिरिक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ विभाग, बिहार द्वारा प्रकाशित विवरणिका (प्रॉस्पेक्टस) को इस आधार पर चुनौती दी थी कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने के उद्देश्य से अभ्यर्थी द्वारा 31 मई, 1989 को या उससे पूर्व 12 माह की हाउस-जॉब पूर्ण करने का प्रावधान, इस न्यायालय के डॉ. दिनेश कुमार एवं अन्य बनाम मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, इलाहाबाद एवं अन्य, [1987] 4 एस.सी.सी. 459 के निर्देशों के विपरीत है। उच्च न्यायालय ने यह पाया कि इस न्यायालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा का विवरणिका में पालन नहीं किया गया था और, इसलिए, उसने रिट याचिका को स्वीकार करते हुए परमादेश जारी कर राज्य तथा उसके अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे किसी भी अभ्यर्थी को स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति न दें, यदि उसने 1 मई, 1989 तक 12 माह की हाउस-जॉब पूर्ण करने की आवश्यक योग्यता प्राप्त नहीं की हो। इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय ने विवरणिका को उस सीमा तक निरस्त कर दिया, जहाँ पात्रता की कट-ऑफ तिथि 31.5.1989 निर्धारित की गई थी।

उच्च न्यायालय में इस अपील में बिहार राज्य तथा उसके अधिकारी उत्तरदाता थे। उनका मुख्य तर्क यह था कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा आयोजित स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा, इस न्यायालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर आयोजित नहीं की जा सकी और परिणामों की सूचना विलंब से भेजी गई। आगे यह भी तर्क दिया गया कि कई राज्यों ने भी इस न्यायालय द्वारा रिपोर्ट किए गए आदेश में इंगित समय-सीमा का अनुपालन नहीं किया है और, इस प्रकार, न्यायालय द्वारा निर्मित योजना का समुचित रूप से कार्यान्वयन नहीं हो रहा है। इन विशिष्ट आरोपों के मद्देनजर, विशेष रूप से परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था के विरुद्ध—जिसे इस न्यायालय द्वारा सौंपे गए कार्य का दायित्व दिया गया था—अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की ओर से अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराई गई और हलफनामा

दाखिल किया गया।

प्रतिवेदित किए गए आदेश में हमारे द्वारा यह कहा गया था:

“अब जिस विषय पर विचार किया जाना शेष है, वह चयन परीक्षा से संबंधित कार्यक्रम का अंतिम रूप देना है। जैसा कि पहले ही निर्णय किया जा चुका है, चयन परीक्षा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा संचालित की जाएगी। चयन परीक्षा आयोजित किए जाने की घोषणा प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को की जाएगी और अभ्यर्थियों को अपने आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पूरे चार सप्ताह का समय उपलब्ध कराया जाएगा। आवेदन प्राप्त होने के पश्चात, 1 अक्टूबर से अधिकतम छह सप्ताह के भीतर उनकी जाँच (स्कूटनी) कर विधिवत प्रक्रिया पूरी की जाएगी और प्रवेश पत्र जारी किए जाएँगे। परीक्षा जनवरी के दूसरे रविवार को आयोजित की जाएगी। परीक्षा के परिणाम, परीक्षा आयोजित होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर घोषित किए जाएँगे। परिणामों की घोषणा के दो सप्ताह बाद प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होगी। प्रवेश लेने की अंतिम तिथि, परिणामों की घोषणा की तिथि से छह सप्ताह होगी; तथापि, प्रत्येक संस्थान का प्रमुख, विशेष मामलों में दर्ज कारणों के आधार पर, सात दिनों तक की देरी को क्षमा करने का अधिकारी होगा। जिन संस्थानों में ऐसे पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं, वहाँ अध्ययन सत्र पूरे देश में 2 मई से प्रारंभ होगा। परीक्षा की अधिसूचना, परिणाम का प्रकाशन तथा प्रवेश का आवंटन (निकटता के आधार पर स्थानों में महिला अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने संबंधी हमारे निर्देशों को ध्यान में रखते हुए) की सूचना, प्रत्येक राज्य में व्यापक प्रसार वाले दो क्रमिक समाचार-पत्रों में तथा कम से कम दो स्थानीय समाचार-पत्रों में, राज्य की भाषा में, यथाशीघ्र प्रकाशित की जाएगी।”

स्पष्टतः, संबंधित वर्ष के लिए परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था द्वारा इस न्यायालय के प्रासंगिक निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। इसी प्रकार, बिहार राज्य ने भी अपनी विवरणिका तैयार करते समय इस न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया। यदि अध्ययन-पाठ्यक्रम 2 मई, 1989 से प्रारंभ होने थे, तो अंतिम पात्रता तिथि 31 मई, 1989 निर्धारित नहीं की जा सकती थी। हमारे समक्ष यह बात पुनः रेखांकित की गई है कि कई राज्यों ने भी इन निर्देशों का पालन नहीं किया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस

जारी कर देरी और निर्देशों की अवहेलना के आरोपों की शुद्धता की जाँच करने के बजाय, हमें यह संकेत देना अधिक उपयुक्त लगा है कि सभी—जिसमें राज्य, केंद्र शासित प्रदेश तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करने वाले अन्य सभी प्राधिकरण शामिल हैं—हमारे आदेश से बंधे हुए हैं और आदेश के कंडिका 6 में निर्धारित समय-सारिणी का कठोरता से पालन करना होगा। हमने इस न्यायालय के आदेश के उल्लंघन के लिए चूक करने वाले प्राधिकरणों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की है, इस आशा के साथ कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी; तथापि, हम यह चेतावनी देना चाहेंगे कि यदि भविष्य में किसी भी समय यह संज्ञान में आता है कि उल्लंघन हुआ है, तो चूक करने वालों के विरुद्ध गंभीर कार्रवाई की जाएगी। हमें आशा और विश्वास है कि सभी संबंधित व्यक्ति समय-सीमा का सख्ती से पालन करेंगे और भविष्य में इस संबंध में कोई चूक नहीं होगी।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की ओर से अधिवक्ता ने जो कुछ हुआ उसके लिए खेद व्यक्त किया है और यह आश्वासन दिया है कि भविष्य में कोई चूक नहीं होगी।

उत्तरदाताओं की ओर से अधिवक्ता ने हमारे संज्ञान में यह बात लाई है कि पूर्ववर्ती वर्ष में बिहार राज्य ने यह रुख अपनाया था कि इस न्यायालय के निर्देशों के आलोक में विस्तार संभव नहीं था, जबकि राज्य का वर्तमान रुख इसके विपरीत है। बिहार राज्य की ओर से अधिवक्ता ने इस स्थिति पर खेद व्यक्त किया है। हम पाते हैं कि जिन अभ्यर्थियों ने पिछले वर्ष कट-ऑफ तिथि से आगे योग्यता प्राप्त की थी, उन्होंने इस वर्ष की विवरणिका के अनुसार नए समूह के साथ परीक्षा दी है। इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कट-ऑफ तिथि से आगे की तिथि तय करने में राज्य की त्रुटि ने, स्पष्टतः, अभ्यर्थियों के एक समूह को भ्रमित किया है। इन परिस्थितियों में, हमारा मत है कि सभी के हित में यह होगा कि बिहार राज्य द्वारा की गई त्रुटि को क्षम्य माना जाए और चयन परीक्षा के परिणाम के आधार पर, 31 मई, 1989 को कट-ऑफ तिथि मानते हुए, इस वर्ष के लिए प्रवेश की अनुमति दी जाए। हम उच्च न्यायालय से सहमत हैं कि इस न्यायालय के निर्देशों के आधार पर अपनाया गया दृष्टिकोण सर्वाधिक उपयुक्त है; तथापि, ऊपर उल्लिखित विशेष परिस्थितियों में, हमने इस विचलन को केवल वर्तमान वर्ष तक ही सीमित रखा है।

इन निर्देशों के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

याचिका का निपटारा किया गया।

एन. पी. वी

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।